श्री मारुति तुकाराम बागवे और हमारा।

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. (2020 की सिविल अपील संख्या 1759)

/

27 फरवरी, 2020

[अशोक भूषण और मोहन एम**.** शांतनागौदर**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनः

/

सेवा कैरियर विकास योजना-सरकारी प्रस्ताव दिनांक 8.6.1995 ने समूह सी और डी के कर्मचारियों को 12 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद अगले पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान किया-प्रस्ताव दिनांक 26.10.2004 द्वारा 'जूनियर क्लर्क' को 'डिप्टी एकाउंटेंट' का वेतनमान देने की मंजूरी दी गई, जिन्होंने खाता क्लर्क अंतर्गत ीक्षा उत्तीर्ण की थी और 12 साल की निरंतर सेवा पूरी की थी-वरिष्ठ क्लर्कों ने प्रशासनिक न्यायालय का रुख करते हुए कहा कि 'डिप्टी एकाउंटेंट' का पद 'जूनियर क्लर्क' के लिए नहीं बल्कि 'सीनियर क्लर्क' के लिए पदोन्नति का पद है, जिसके अंतर्गत िणामस्वरूप 'जूनियर क्लर्क' के वेतनमान का उन्नयन किया गया-न्यायालय ने प्रस्ताव दिनांक 26.10.2004 को रद्द कर दिया-'जूनियर क्लर्क' द्वारा लिखित याचिका दायर की गई थी।

/

/

/

/

/

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

उच्चतम न्यायालय -आयोजितःराज्य सरकार ने अपने संकल्प दिनांक आई. डी. 2 द्वारा दिनांक आई. डी. 3 दिनांकित प्रस्ताव को यह महसूस करते हुए वापस ले लिया कि पूर्व प्रस्ताव ने विसंगत स्थिति पैदा कर दी थी-इसलिए न्यायाधिकरण ने दिनांक आई. डी. 2 दिनांकित प्रस्ताव को सही ढंग से बरकरार रखा-कनिष्ठ लिपिक उप-लेखाकार के वेतनमान के हकदार नहीं थे क्योंकि यह कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए पदोन्नति पद नहीं था-कनिष्ठ लिपिकों द्वारा प्राप्त लाभ उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत थे-इसलिए आई. डी. 1 तक प्राप्त लाभों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**जूनियर क्लर्कों के लिए उप लेखाकार के पैमाने का प्रावधान करने वाले सरकार के दिनांक **26.10.2004** के प्रस्ताव ने बाद के सरकारी प्रस्ताव दिनांक **11.09.2008** द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है।न्यायाधिकरण का विचार सही है कि सरकारी प्रस्ताव दिनांक **26.10.2004** और **11.09.2008** राज्य सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।उपरोक्त दोनों प्रस्ताव सरकारी प्रस्ताव दिनांक **08.06.1995** द्वारा प्रदान की गई अपीलार्थियों की सेवा शर्तों को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं।सरकारी प्रस्ताव दिनांक **26.10.2004** ने वित्त विभाग को कुछ अतिरिक्त लाभ दिए।राज्य सरकार ने बाद में महसूस किया कि इस तरह की कार्रवाई एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करेगी और जिसने वास्तव में विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा की।जूनियर क्लर्क, जो सीनियर क्लर्कों से कम थे, सीनियर क्लर्कों के पैमाने में आए बिना सीनियर क्लर्कों के अगले उच्च स्तर पर मार्च करने में सक्षम थे और विभिन्न सीनियर क्लर्कों से अधिक वेतन प्राप्त करना शुरू कर दिया था।**[**पैरा **10] [1041-**एफ**-**एच**; 1042-**ए**]**

/

/

/

/

1.2 जिला कोषागार में कनिष्ठ लिपिकों, वरिष्ठ लिपिकों की भर्ती और पदोन्नति कार्यकारी निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाती थी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए तरीके से संशोधित, परिवर्तित किया जा सकता है।महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सरकारी प्रस्ताव दिनांक **11.09.2008** को बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की।यह लाभ, जो **12** साल की

निरंतर सेवा पूरी करने के बाद अगले उच्च ग्रेड के जूनियर क्लर्कों के लिए उपलब्ध था, अभी भी स्वीकार्य है।इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने दिनांकित **11.09.2008** के सरकारी प्रस्ताव को बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की।**[**पैरा **10** और **11] [1042-**बी**-**डी**]**

/

/

1036 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 3 एस. सी. आर.

/

2.1 जूनियर क्लर्क का पद जिला संवर्ग में होता है और उन्हें ट्रेजरी क्लर्क भी कहा जाता है। वरिष्ठ क्लर्क का पद **3** के अनुपात में पदोन्नति और नामांकन द्वारा भरा जाता है:**1.** जूनियर क्लर्क, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, पदोन्नति के लिए पात्र हैं।सरकारी प्रस्ताव दिनांक **08.06.1995** में **12** साल की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद पदोन्नति पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद के वेतनमान का अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।दिनांक **08.06.1995** के प्रस्ताव के अनुसार, जूनियर क्लर्क केवल अगले पदोन्नति पद के लिए हकदार थे, यानी वरिष्ठ क्लर्क के पदोन्नति पद के लिए और संकल्प दिनांक **08.06.1995** के अंतर्गत , वे उच्च पदोन्नति पद, यानी उप लेखाकार के पद को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, जिसे वरिष्ठ क्लर्क की पदोन्नति से भरा जाता है।**[**पैरा **14] [1043-**डी**-**ई**]**

/

/

2.2 अपीलार्थियों ने स्वयं अपीलार्थियों के सेवा विवरण दिखाने वाले बयान के रूप में अनुलग्नक पी**-2** दायर किया है, जो इंगित करता है कि उप**-**लेखाकार का वेतनमान अपीलार्थियों को सरकारी संकल्प दिनांक **26.10.2004** के आधार पर दिया गया था।इस प्रकार, अपीलार्थियों को दिनांकित संकल्प **08.06.1995** के आधार पर उप**-**लेखाकार का पैमाना नहीं दिया गया था, इसलिए अपीलार्थियों का यह निवेदन कि वे दिनांकित प्रस्ताव **26.10.2004** को वापस लेने के बावजूद उप**-**लेखाकार के वेतनमान के हकदार हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **15] [1043-**एफ**-**एच**]3.** उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रतिवादियों को मासिक किश्तों के माध्यम से **11.09.2008** के बाद याचिकाकर्ताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने की अनुमति दी और प्रतिवादियों को **11.09.2008** से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त वसूली या लाभों को प्रभावित करने से रोक दिया गया।अपीलार्थियों द्वारा **04.12.2014** तक प्राप्त किए गए लाभ उच्च न्यायालय के दिनांक **05.12.2009** के आदेश के अंतर्गत थे।इसलिए अपीलार्थी द्वारा **04.12.2014** तक प्राप्त लाभ को वापस नहीं लिया जा सकता है जब यह घोषित किया गया था कि **11.09.2008** दिनांकित प्रस्ताव वैध था, उसके बाद अपीलार्थी द्वारा प्राप्त लाभ को ही वापस लिया जा सकता है।इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय

के निर्देशों को संशोधित करने में न्याय के उद्देश्यों को केवल इस हद तक पूरा किया जाना चाहिए कि तिथि **11.09.2008** के स्थान पर**,** तिथि **04.12.2014** को प्रतिस्थापित किया जाए।**[**पारस **16** और **19] [1044-**ए**-**बी**; 1046-**एच**; 1047-**ए**-**बी**]** ए

/

/

/

/

/

1037

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील संख्या 1759।

2015 की रिट याचिका संख्या 1765 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.06.2018 से।

सुधांशु एस. चौधरी, योगेश कोल्टे, गोविंद वेणुगोपाल, सुश्री पुष्पा देवी सीकरी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

/

कुणाल चीमा, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

अशोक भूषण**,** जे।

1. यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 18.06.2018 के निर्णय के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांकित 04.12.2014 के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुज्ञात गई है।

/

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए

ये हैंः-

2.1.महाराष्ट्र सरकार, वित्त विभाग ने दिनांक 1 के प्रस्ताव द्वारा वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत महाराष्ट्र वित्त और लेखा सेवा का गठन करने का निर्णय लिया।इस सेवा में कक्षा-3 के पदों सहित विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल थे।जिला कोषागार में वरिष्ठ लिपिक के साथ-साथ कनिष्ठ लिपिक के पद भी थे।प्रस्ताव दिनांक 28.12.1970 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई थी, जिसमें जिला कोषागार की स्थापना पर आधारित लिपिक की पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का एक तरीका भी शामिल था।2.2.सरकारी प्रस्ताव दिनांक 08.06.1995 द्वारा, यह प्रावधान किया गया था कि समूह सी और डी (पहले वर्ग-III और वर्ग-IV) में पदों पर आसीन कर्मचारियों को 12 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाएगा। 2.3.सरकारी प्रस्ताव दिनांक 20.07.2001 द्वारा, राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा कैरियर विकास योजना के अंतर्गत लागू करने का निर्णय लिया।महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक बाद के प्रस्ताव दिनांक 26.10.2004 द्वारा, के नियंत्रण अंतर्गत ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी क्लर्कों को वरिष्ठ क्लर्क के बजाय उप लेखाकार का वेतनमान प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

/

/

/

/

लेखा और कोषागार निदेशालय, जिन्होंने महाराष्ट्र लेखा लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 12 साल की निरंतर सेवा पूरी की थी।2.4.उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में, यहाँ उत्तरदाताओं को 01.10.1994 से शुरू होने वाली अलग-अलग तारीख से उप लेखाकार का वेतनमान प्रदान किया गया था।इसमें सभी उत्तरदाता जिला स्तर पर जिला कोषागार में एक कनिष्ठ क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे जिन्हें सरकारी प्रस्ताव दिनांक 26.10.2004 के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुए थे।

/

2.5.2005 का एक मूल आवेदन संख्या 936 महाराष्ट्र राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्री विजय ए. डांगट और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में दायर किया गया था।आवेदक

वरिष्ठ क्लर्क/उप लेखाकार के रूप में काम कर रहे थे, जिन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधे वरिष्ठ क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और निर्धारित विभागीय लेखाकार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उन्हें वरिष्ठ क्लर्क के रूप में पुष्टि की गई थी।सीनियर क्लर्क का मामला यह था कि डिप्टी एकाउंटेंट के पद के लिए जूनियर क्लर्क को अब जो वेतनमान दिया गया है, वह जूनियर क्लर्क के लिए पदोन्नति पद नहीं है, बल्कि नियम के अनुसार सीनियर क्लर्क के लिए पदोन्नति पद है।उन्होंने दावा किया कि उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाना चाहिए ताकि विसंगति को ठीक किया जा सके।

/

/

2.6.न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय और दिनांक 17.11.2006 के आदेश के माध्यम से दिनांक 26.10.2004 के सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया।न्यायाधिकरण के दिनांक 17.11.2006 के निर्णय के खिलाफ, 2007 की रिट याचिका No.946 उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया।रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांकित 11.09.2008 प्रस्ताव के माध्यम से दिनांकित 26.10.2004 प्रस्ताव को वापस ले लिया।इसके बाद सरकार ने दिनांक 2 के संकल्प को जारी रखते हुए दिनांक 1 का एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि सभी संबंधित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा के संबंध में लाभ देने पर कोई आपत्ति नहीं है, जो उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कर्मचारियों से यह वचन लेकर दिया जाएगा कि यदि उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति वेतन से कर्मचारियों को देय वित्तीय लाभों की वसूली में कोई आपत्ति नहीं होगी।उपर्युक्त आदेश दिनांक 06.10.2009 के बाद, प्रत्यर्थी से एक वचन लिया गया और उन्हें उस लाभ को जारी रखा गया जो उन्हें दिनांक 06.10.2014 के सरकारी प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त हुआ था।

/

/

/

/

1039

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

/

2.7.इसके बाद उत्तरदाताओं ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मूल आवेदन दायर कर सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 पर सवाल उठाया।2007 का डब्ल्यू. पी. सं. 946 05.12.2009 पर विचार के लिए आया।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं (यहां उत्तरदाताओं) को पहले से ही कोई लाभ दिया गया है, तो दिनांकित पत्र (आईडी1) में निहित निर्णय के अनुसार, उन्हें तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि याचिकाकर्ताओं (यहां उत्तरदाताओं) द्वारा दायर मूल आवेदन पर महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है।

/

2.8.2009 का मूल आवेदन No.161 और अन्य संबंधित मूल आवेदन जो बाद के सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 पर सवाल उठाते हैं, उन्हें महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।दिनांकित 04.12.2014 आदेश से व्यथित, 2015 की रिट याचिका No.1765 प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।रिट याचिका का निर्णय दिनांक 18.06.2018 के निर्णय द्वारा किया गया।उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को आंशिक रूप से निम्नलिखित तरीके से अनुज्ञात गई थीः-

/

/

“16. उपरोक्त सभी कारणों से, हम इस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और निम्नलिखित आदेश के साथ इसका निपटारा करते हैंः

(ए) आक्षेपित निर्णय और आदेश जिस हद तक यह 11 सितंबर 2008 के जीआर को बरकरार रखता है, उसे बरकरार रखा जाता हैः

/

(बी) हालांकि, अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए आक्षेपित निर्णय और आदेश में निर्देश को संशोधित किया गया है।तदनुसार प्रत्यर्थियों को 11 सितंबर 2008 के बाद मासिक किश्तों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन प्रत्यर्थियों को 11 सितंबर 2008 से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त वसूली या लाभों को प्रभावी बनाने से रोक दिया गया है।

/

((ग) नियम को उपरोक्त शब्दों में आंशिक रूप से निरपेक्ष बनाया गया है।((घ) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(ई) इस आदेश की प्रमाणित प्रति 666666666 के आधार पर कार्य करने के लिए सभी संबंधित। "

/

2.9.यह याचिका उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सुधांशु एस. चौधरी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को सही ढंग से वेतन का लाभ दिया गया था

/

1040

/

[2020] 3 एस सी आर।

संकल्प दिनांक 24.10.2004 के अंतर्गत उप लेखाकार का पैमाना जिसे बाद के सरकारी संकल्प दिनांक 11.09.2008 द्वारा वापस नहीं लिया जाना चाहिए था।सरकारी प्रस्ताव दिनांक 01.02.1965 और 08.06.1995 का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील का तर्क है कि अपीलार्थी 12 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद उप लेखाकार के पैमाने के हकदार थे।वह प्रस्तुत करता है कि भले ही राज्य सरकार द्वारा 24.10.2004 दिनांकित संकल्प को वापस ले लिया जाए, लेकिन 12 साल की सेवा पूरी करने के बाद उप लेखाकार का वेतन प्राप्त करने का उनका अधिकार प्रभावित नहीं हो सकता है जो संकल्प दिनांक 08.06.1995 से प्रवाहित होता है।4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के किसी भी दृष्टिकोण से, जब न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया था, उससे पहले की किसी भी अवधि के लिए अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जा सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 05.12.2009 के निर्णय के अंतर्गत , प्रस्ताव दिनांक 24.10.2004 के अंतर्गत अपीलार्थियों को दिए गए लाभों को तब तक वापस नहीं लिया जाना था जब तक कि न्यायाधिकरण द्वारा मूल आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता।निर्णय का प्रभाव यह होगा कि 04.12.2014 से पहले की अवधि के लिए अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि के लिए कोई वसूली नहीं की जा सकती है।

/

/

/

5. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री कुणाल चीमा ने अपीलार्थी की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि सरकारी प्रस्ताव दिनांक 24.10.2004 के अनुसरण में अपीलार्थी को दिए गए लाभ सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 द्वारा वापस ले लिए गए थे।अपीलार्थी किसी भी लाभ के हकदार नहीं थे और उसके बाद प्राप्त लाभ अपीलार्थी द्वारा दिए गए वचन के

आधार पर थे कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो वे राशि वापस कर देंगे।6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक स्पष्ट वचन के अधीन लिया गया कोई भी लाभ अपीलार्थी द्वारा दिए गए वचन के अनुसार वसूल किए जाने का हकदार है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 08.06.1995 दिनांकित प्रस्ताव ने जूनियर क्लर्क को 12 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद उप लेखाकार का वेतनमान प्राप्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया।वचन देने वाले अपीलार्थी वचन के लिए बाध्य हैं और वचन के परिणामस्वरूप उन्हें प्राप्त हुई राशि की वसूली पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।

/

/

/

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पहले ही केवल डब्ल्यू. ई. एफ. 11.09.2008 की अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देकर अपीलकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की थी।कुछ अपीलार्थियों को 24.10.1994 से प्राप्त कानूनी लाभों को उनके द्वारा 11.09.2008 तक बनाए रखने की अनुज्ञात गई है।इस प्रकार, सारवान ए

/

1041

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

न्याय हो चुका है और उच्च न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. पक्षों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया है जिन्हें इसके बाद भेजा जाएगा और उन पर विचार किया जाएगा।

/

9. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकील द्वारा देल गेल निवेदन आ अभिलेख पर सामग्रीसँ एहि अपीलमे विचार करबाक लेल निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्न होइत अछि।-

(i) क्या महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 को बरकरार रखने में गलती की है जिसके द्वारा पहले के सरकारी प्रस्ताव दिनांक 24.10.2004 को वापस ले लिया गया था?

/

((ii) क्या दिनांक 2 के सरकारी प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद, अपीलार्थी दिनांक 1 के सरकारी प्रस्ताव के आधार पर उप-लेखाकार के वेतनमान के हकदार थे?

/

((ग) क्या अपीलकर्ताओं का यह निवेदन सही है कि उन्हें आई. डी. 1 तक प्राप्त राशि, अर्थात उस तारीख तक जब महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था, की वसूली नहीं की जा सकती थी और उसके बाद की अवधि के लिए यदि कोई वसूली की जा सकती है?

/

प्वाइंट नं**. 1**

10. निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कनिष्ठ लिपिकों के लिए उप-लेखाकार के पैमाने का प्रावधान करने वाले सरकार के दिनांक 24.10.2004 के प्रस्ताव को बाद के सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 द्वारा वापस ले लिया गया था।न्यायाधिकरण का विचार सही है कि सरकारी प्रस्ताव दिनांक 26.10.2004 और 11.09.2008 राज्य सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।उपरोक्त दोनों प्रस्ताव सरकारी प्रस्ताव दिनांक 08.06.1995 द्वारा प्रदान की गई अपीलार्थियों की सेवा शर्तों को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं।सरकारी प्रस्ताव दिनांक 26.10.2004 ने वित्त विभाग को कुछ अतिरिक्त लाभ दिए।राज्य सरकार के पत्र में महसूस किया गया है कि इस तरह की कार्रवाई एक विसंगत स्थिति पैदा करेगी और जिसने वास्तव में विसंगत स्थिति पैदा की है।जूनियर क्लर्क, जो सीनियर क्लर्कों से निचले स्तर पर थे, सीनियर क्लर्कों के पैमाने में आए बिना सीनियर क्लर्कों के अगले उच्च स्तर पर मार्च करने में सक्षम थे और ड्राइंग करना शुरू कर दिया था

/

/

/

विभिन्न वरिष्ठ क्लर्कों से अधिक वेतन के कारण वरिष्ठ क्लर्कों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मूल आवेदन दायर किया था, जिसे 26.10.2004 दिनांकित आदेश अपास्त करते हुए करने की अनुज्ञात गई थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।राज्य सरकार ने अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार किया और अपने पहले के निर्णय को याद करते

हुए एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया।विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की स्थिति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।जिला कोषागार में कनिष्ठ लिपिकों, वरिष्ठ लिपिकों की भर्ती और पदोन्नति कार्यकारी निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाती थी, जिन्हें उसी तरीके से संशोधित किया जा सकता है जैसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 को बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की।12 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद अगली उच्च श्रेणी के जूनियर क्लर्कों के लिए जो लाभ उपलब्ध था, वह अभी भी स्वीकार्य है, जिसका वे बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं।

/

/

11. इस प्रकार, हम मानते हैं कि न्यायाधिकरण ने दिनांकित 11.09.2008 के सरकारी प्रस्ताव को बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की।

/

प्वाइंट नंबर **2**

12. निवेदन, जिसे अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दबाया गया है, वह यह है कि दिनांकित 26.10.2004 प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद, अपीलार्थी अभी भी दिनांकित 08.06.1995 सरकारी प्रस्ताव के आधार पर उप लेखाकार का वेतन प्राप्त करने के हकदार थे।सरकारी प्रस्ताव दिनांक 08.06.1995 को अनुलग्नक पी-3 के रूप में दर्ज किया गया है। पैराग्राफ 2 में शामिल पदोन्नति की योजना इस प्रकार हैः-

/

“2. पदोन्नति के लिए विस्तृत योजना इस प्रकार हैः

/

समूह "सी एंड डी" (पूर्व में श्रेणी-III और श्रेणी-IV) में पदों पर आसीन कर्मचारियों को 12 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाएगा।उन कर्मचारियों के लिए, जहां पदोन्नति पदानुक्रम में पदोन्नति के लिए कोई पद नहीं है, इस प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार उच्च वेतनमान दिया जाएगा।इस योजना के कार्यान्वयन की अन्य मुख्य विशेषताएँ और प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैंः

/

XXXXXXXXXXX "

/

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

/

13. वरिष्ठ क्लर्क के पद पर भर्ती की प्रक्रिया वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 28.12.1970 द्वारा प्रदान की जाती है।संकल्प का अनुच्छेद 1 इस प्रकार हैः-

“जिला कोषागारों में वरिष्ठ लिपिकों के पद के लिए पुनर्प्राप्ति नियम

/

1. वरिष्ठ क्लर्क के पद पर नियुक्ति या तो की जाएगीः(क) जिला कोषागार की स्थापना पर जन्म लेने वाले क्लर्कों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने जिला सूची में अपनी वरिष्ठता के क्रम में पद भर्ती (मंत्रिस्तरीय) परीक्षा उत्तीर्ण की है या उत्तीर्ण होने से छूट दी है, या

/

(बी) उन उम्मीदवारों के नामांकन द्वारा जो (i) जब तक कि पहले से ही महाराष्ट्र सरकार की सेवा में न हों, उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक न हो (ii) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान, वाणिज्य या विधि में डिग्री हो। "

14. जूनियर क्लर्क का पद जिला संवर्ग में होता है और उन्हें ट्रेजरी क्लर्क भी कहा जाता है।वरिष्ठ क्लर्क का पद 3 के अनुपात में पदोन्नति और नामांकन द्वारा भरा जाता हैः1. जूनियर क्लर्क, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, पदोन्नति के लिए पात्र हैं।सरकारी प्रस्ताव दिनांक 08.06.1995 में 12 साल की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद पदोन्नति पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद के वेतनमान का अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।दिनांक 08.06.1995 के प्रस्ताव के अनुसार, जूनियर क्लर्क केवल अगले पदोन्नति पद के लिए हकदार थे, यानी वरिष्ठ क्लर्क के पदोन्नति पद के लिए और संकल्प दिनांक 08.06.1995 के अंतर्गत , वे उच्च पदोन्नति पद, यानी उप लेखाकार के पद को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, जिसे वरिष्ठ क्लर्क की पदोन्नति से भरा जाता है।

/

/

/

15. इस प्रकार, हम अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी दिनांकित 26.10.2004 प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद उप-लेखाकार के वेतनमान के अनुदान के हकदार थे।अपीलार्थी ने स्वयं अपीलार्थी की सेवा विवरण दिखाने वाले बयान के रूप में अनुलग्नक पी-2 दायर किया है, जो इंगित करता है कि उप-लेखाकार का वेतनमान अपीलार्थी

को सरकारी संकल्प दिनांक 26.10.2004 के आधार पर दिया गया था।इस प्रकार, अपीलार्थियों को दिनांकित 08.06.1995 प्रस्ताव के आधार पर उप लेखाकार का पैमाना नहीं दिया गया था, इसलिए अपीलार्थियों का यह निवेदन कि वे दिनांकित 26.10.2004 प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद उप लेखाकार के वेतनमान के हकदार हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

/

/

प्वाइंट नं**. 3**

16. उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (बी) में जारी निर्देशों द्वारा आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रतिवादियों को मासिक किश्तों के माध्यम से 11.09.2008 के बाद याचिकाकर्ताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने की अनुमति दी और प्रतिवादियों को 11.09.2008 से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त वसूली या लाभों को प्रभावित करने से रोक दिया गया। अपीलार्थियों का निवेदन है कि वे उच्च वेतनमान और उन्हें किए गए अतिरिक्त भुगतान को तब तक बनाए रखने के हकदार थे जब तक कि महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनके आवेदन को खारिज नहीं कर दिया, जबकि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी अतिरिक्त राशि को वापस करने के अपने वचन से बाध्य हैं, जो उन्हें दिनांकित सरकारी संकल्प के अनुसरण में दी गई थी, उन्हें राशि वापस करने का वचन देने के बाद प्राप्त अतिरिक्त राशि को बनाए रखने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 2005 के ओ. ए. No.936 में दिनांकित 26.10.2004 प्रस्ताव को दिनांकित 17.11.2006 निर्णय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था।न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थियों द्वारा 2007 की एक रिट याचिका दायर की गई थी। 2007 की रिट याचिका No.946 के लंबित रहने के दौरान, सरकारी प्रस्ताव दिनांक 11.09.2008 पारित किया गया था।न्यायाधिकरण के दिनांक 17.11.2006 के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2007 के अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी, इसलिए जब दिनांक 11.09.2008 का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो दिनांक 06.10.2009 का एक सरकारी प्रस्ताव निम्नलिखित के लिए प्रदान किया गया थाः-

/

/

/

/

“दिनांक 17.11.2006 पर न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पहली तारीख 13.02.2007 पर सुनवाई में अंतरिम रोक लगा दी है और चूंकि उक्त रोक स्थायी है, इसलिए दिनांक 11.09.2008 पर वित्त विभाग के सरकारी प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर, माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन, सभी संबंधित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवाओं के संबंध में लाभ देने पर कोई आपत्ति नहीं है।हालांकि, सभी संबंधित कर्मचारियों को यह दर्शाते हुए कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन लाभ दिए हैं, "यदि माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 1 पर वित्त विभाग के सरकारी प्रस्ताव पर सहमत है, तो इसके अनुसार, मुझे देय वित्तीय लाभों से या मेरे सेवानिवृत्ति वेतन से उत्पन्न होने वाली पूरी राशि की वसूली करने में कोई आपत्ति नहीं है।इस तरह का वचन सभी संबंधित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से लिया जाएगा।

/

/

/

1045

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

/

एसडी/-

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

लेखा और कोषागार,

महाराष्ट्र, मुंबई।17. उपरोक्त प्रस्ताव में विचार किया गया कि सभी संबंधित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवाओं के संबंध में लाभ उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन दिया जाना चाहिए और यदि उच्च न्यायालय दिनांकित सरकारी प्रस्ताव 11.09.2008 से सहमत है, तो कर्मचारी लाभों को वापस करने का वचन देता है।उपर्युक्त संकल्प दिनांक 06.10.2009 के अनुसरण में, अपीलार्थियों और समान रूप से स्थित कर्मचारियों ने अपने उपक्रम प्रस्तुत किए थे।इस प्रकार, कर्मचारियों द्वारा दिया गया वचन उपरोक्त संकल्प के बाद दिया गया था।अपीलार्थियों में से एक द्वारा दिए गए उपक्रमों में से एक-जे. सी. जौलकर (अपीलार्थी संख्या 3) को उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष रखा गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

/

/

“समझ में आना

/

मैं ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि जी. आर. दिनांक 26.10.2004 के माध्यम से कैरियर सुनिश्चित प्रगति योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ जी. आर. दिनांक 11.09.2008 के माध्यम से वापस ले लिए जाते हैं।इसलिए, श्री एम. टी. बागवे और अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय , मुंबई में 2007 की याचिका दायर की है।माननीय उच्च न्यायालय , मुंबई ने 13.02.2007 दिनांकित आदेश के माध्यम से "अंतरिम" रोक लगा दी थी जो अभी भी लागू है।यदि माननीय उच्च न्यायालय ने जी. आर. दिनांक 1 को बरकरार रखा है, तो मैं सरकार को देय पूरी राशि को मुझे देय मौद्रिक लाभों से या अपने वेतन के माध्यम से वापस कर दूंगा।

/

तारीखः28.10.2009

/

स्थानःगोंडिया

एसडी/-

(J.C.Jaulkar)

वरिष्ठ लिपिक

/

जिला कोषागार कार्यालय,

गोंडिया "

/

1046

/

[2020] 3 एस सी आर।

18. 2007 की रिट याचिका संख्या 946 का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 05.12.2009 के निर्णय द्वारा किया गया था।उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुच्छेद 3 इस प्रकार हैः-

“3. अब इस मामले को समग्र रूप से देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दिनांकित 26.10.2004 के सरकारी प्रस्ताव को ही वापस ले लिया गया है, इसलिए मूल आवेदन संख्या।936 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2005 की याचिका ही निष्फल हो जाती है। नतीजतन, उस मूल आवेदन में महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।हालाँकि, महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर नए मूल आवेदन पर विधि के अनुसार विचार करने और उस पर विधि के अनुसार आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा।हालाँकि, यह देखते हुए कि दिनांकित 6.10.2009 में निहित निर्णय के कारण याचिकाकर्ताओं को कुछ लाभ दिए गए हैं, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि दिनांकित 6.10.2009 में निहित निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ताओं को पहले से ही कोई लाभ दिया गया है, तो उन्हें तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मूल आवेदन पर महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है।याचिका का निपटारा कर दिया गया है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

/

/

/

(डी. के. देशमुख, जे.)

(के. के. टेटेड, जे.) "19. 2007 की रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिए गए लाभ को तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन पर महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है।उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 05.12.2009 के निर्णय में दिनांकित 11.09.2008 के सरकारी प्रस्ताव की वैधता पर निर्णय नहीं दिया।अपीलार्थियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा जो वचन दिया गया था, वह इस आशय का था कि यदि उच्च न्यायालय ने सरकारी संकल्प दिनांक 1 को बरकरार रखा है, तो वे प्राप्त राशि को वापस कर देंगे।उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 05.12.2009 के निर्णय के माध्यम से वास्तव में अपीलकर्ताओं को तब तक लाभ बनाए रखने की अनुमति दी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता।अपीलार्थी द्वारा दायर मूल आवेदन पर अंततः 04.12.2014 पर निर्णय लिया गया जिसके द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 04.12.2014 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दिनांकित 11.09.2008 के प्रस्ताव को बरकरार रखा, इस प्रकार, दिनांकित 11.09.2008 के प्रस्ताव की शुद्धता को केवल 04.12.2014 पर बरकरार रखा गया।इस प्रकार, अपीलार्थी ए द्वारा प्राप्त लाभ

/

/

/

/

1047

श्री मारुति तुकाराम बागवे और ओआरएस. v.महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

04.12.2014 तक उच्च न्यायालय के दिनांक 05.12.2009 के आदेश के अंतर्गत थे।इस प्रकार, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में सार पाते हैं कि 04.12.2014 तक उनके द्वारा प्राप्त लाभ को वापस नहीं लिया जाना चाहिए जब यह घोषित किया जाता है कि 11.09.2008 दिनांकित प्रस्ताव वैध था, उसके बाद अपीलार्थी द्वारा प्राप्त लाभ को केवल वापस लिया जा सकता है।इस प्रकार, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में पैराग्राफ 16 (बी) में उच्च न्यायालय के निर्देशों को संशोधित करने में न्याय का उद्देश्य केवल इस हद तक पूरा किया जाना चाहिए कि तारीख 11.09.2008 के स्थान पर, तारीख 04.12.2014 को प्रतिस्थापित किया जाए।उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 16 में निहित निर्देश संख्या (बी), इस प्रकार, निम्नलिखित सीमा तक संशोधित हैः-

/

/

(बी) हालांकि, अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए आक्षेपित निर्णय और आदेश में निर्देश को संशोधित किया गया है।तदनुसार प्रत्यर्थियों को 4 दिसंबर, 2014 के बाद मासिक किश्तों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन प्रत्यर्थियों को 4 दिसंबर, 2014 से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त वसूली या लाभों को प्रभावी बनाने से रोक दिया गया है।

/

20. उच्च न्यायालय के बाकी निर्णय को बरकरार रखा जाता है।हम, इस प्रकार, उपरोक्त प्रभाव के लिए निर्देश (बी) को संशोधित करके अपीलार्थियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हैं।दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

/

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/

/

/